कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर छत्तीसगढ़

email:- bsp.jd18@gmail.com फोन नं. –07752–493695

कमांक/शिकायत/टी/न.क.321/2025/4334 बिलासपुर दिनांक 12.09.25

//आदेश//

शास. पू.मा.शाला लेपरा, वि.खं. पोंड़ी उपरोड़ा जिला कोरबा का अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक 10.09.2025 को आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि श्री आर.एस.पाल शिक्षक उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर करने के उपरांत शाला से अनुपस्थित पाये गये।

संबंधित का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत कदाचार की श्रेणी में आता है। अतः श्री आर.एस.पाल शिक्षक को शाला में अनुपस्थित होने के कारण **"कार्य नहीं, वेतन नहीं"** के सिद्धांत पर दिनांक 10.09.2025 को अवैतनिक किया जाता हैं।

(श्री आर.पी. आदित्य) 12-9-25
संयुक्त संचालक
शिक्षा संभाग बिलासपुर
छत्तीसगढ

पृ. कमांक /शिकायत/टी/न.क. 321/2025 4335 बिलासपुर दिनांक 12.09.25

प्रतिलिपिः–

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय,स्कूल शिक्षा विभाग छ.ग. नवा रायपुर अटल नगर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर जिला कोरबा को सादर सूचनार्थ।
3. जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा को सूचनार्थ।
4. विकास खंड शिक्षा अधिकारी पोंड़ी उपरोड़ा जिला कोरबा को सूचनार्थ भेजकर लेख हैं कि संबंधितों को आदेश सेवा पुस्तिका में इंद्राज करें व कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करावें।
5. संबंधित श्री आर.एस.पाल शिक्षक शास. पू.मा.शाला लेपरा, वि.खं. पोंड़ी उपरोड़ा जिला कोरबा सूचनार्थ।

संयुक्त संचालक 12-9-25
शिक्षा संभाग बिलासपुर
छत्तीसगढ

CIVIL INDIA EXCLUSIVE
CIVIL INDIA

कृ.प.उ.

कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग, बिलासपुर छत्तीसगढ़

email:-bsp.jd18@gmail.com. Phone No.07752-493695

//आदेश//

क्र./शिकायत जांच/टी.–318/2025/4340 बिलासपुर दिनांक 12.09.25

जिला शिक्षा अधिकारी सारंगढ़–बिलाईगढ़ के पत्र क. 2490/स्था./2025 दि. 11.09.2025 के अनुसार श्री विनीत कुमार दुबे, शिक्षक एल.बी. शास.पू.मा.शाला धारासींव,वि.खं. बिलाईगढ़ दि. 10.09.2025 को प्रातः विलम्ब से शाला पहुंचे व कक्षा आठवीं के द्वितीय कालखंड में जाकर उन्होंने श्री मनोज कश्यप, संकुल समन्वयक (मूलपद शिक्षक एल.बी.) जो कि विद्यार्थियों का पढ़ा रहे थे से विवाद किया व " **मेरे पीरियड तू क्यों ले रहा है**" कहते हुये अपशब्दों का प्रयोग किया गया। दोनों के बीच कक्षा में मारपीट की घटना घटित हुई। जिला शिक्षा अधिकारी सारंगढ़–बिलाईगढ़ द्वारा श्री विनीत कुमार दुबे द्वारा विलंब से शाला में उपस्थित होने व श्री मनोज कश्यप के साथ विवाद व मारपीट करने की पुष्टि कर संबधित के विरूद्ध अनुशास्नात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया।

2/ श्री विनीत कुमार दुबे का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत कदाचार की श्रेणी में आता है।

3/एतद्द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी सारंगढ़–बिलाईगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव व छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) 1966 के नियम–9(1) (क) के तहत श्री विनीत कुमार दुबे शिक्षक एल.बी. शास.पू.मा.शाला धारासींव ,वि.खं. बिलाईगढ़ को निलंबित किया जाता हैं। निलंबन अवधि में श्री दुबे का मुख्यालय कार्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी बिलाईगढ़ जिला सारंगढ़–बिलाईगढ़ नियत किया जाता हैं। निलंबन अवधि में श्री दुबे को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(आर.पी. आदित्य) 12-9-25
संयुक्त संचालक
शिक्षा संभाग बिलासपुर
छत्तीसगढ

पृ.क्र./शिकायत जांच/टी.–318/2025/4341 बिलासपुर दिनांक 12.09.25

प्रतिलिपि :–

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ संप्रेषित् ।
2. कलेक्टर, जिला सारंगढ़–बिलाईगढ़ (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ ।
3. जिला शिक्षा अधिकारी जिला सारंगढ़–बिलाईगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ ।
4. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी बिलाईगढ़,जिला सारंगढ़–बिलाईगढ़ (छ.ग.) को भेजकर लेख है कि संबंधित को आदेश की प्रति तामिल कराकर पावती इस कार्यालय को उपलब्ध करावें।
5. प्रधान पाठक, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला धारासींव वि.खं. बिलाईगढ़ जिला सारंगढ़–बिलाईगढ़ को सूचनार्थ ।
6. संबंधित श्री विनीत कुमार दुबे, शिक्षक एल.बी. शास.पू.मा.शाला धारासींव वि.खं. बिलाईगढ़ जिला सारंगढ़–बिलाईगढ़ को सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
7. कार्यालयीन स्थापना खण्ड 03 को गार्ड फाईल हेतु ।

संयुक्त संचालक 12-9-25
शिक्षा संभाग बिलासपुर
छत्तीसगढ़

CIVIL INDIA EXCLUSIVE
CIVIL INDIA

कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर छत्तीसगढ़

email:- bsp.jd18@gmail.com फोन नं. –07752–493695

कमांक/शिकायत/टी/न.क.321/2025/ 11338 बिलासपुर दिनांक 12.09.25

//कारण बताओ सूचना//

प्रति

श्री पीला साव (संकुल समन्वयक)
संकुल लेपरा
वि.ख. पोंडी उपरोड़ा
जिला–कोरबा (छ.ग.)

विषय– कारण बताओ सूचना पत्र।
संदर्भ– आकस्मिक निरीक्षण दि. 10.09.2025.

उपरोक्त संदर्भित विषयांतगर्त लेख हैं कि अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक 10.09.2025 को शास.पू.मा.शाला लेपरा का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि आपके द्वारा दि. 30.06.2025, 14.07.2025, 07.08.2025 एवं दि. 03.09.2025 को उक्त शाला का अवलोकन किया गया। आपके द्वारा शाला का अवलोकन करने के पश्चात भी शाला के प्रधान पाठक व शिक्षकों द्वारा अपनी डेली डायरी पूर्ण नहीं की गई व शाला मे मध्यान्ह भोजन पंजी व लाभांवित छात्रों की जानकारी संधारित नहीं की गई। शाला में बहुत सी अनियमिततायें है। क्या आपके द्वारा उक्त बिन्दुओं की जांच की गई? यदि नहीं तो इसका कारण बतायें।

आपका उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत कदाचार की श्रेणी में आता है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति कि तीन दिवस के भीतर प्रस्तुत करें । स्पष्टीकरण संतोषजनक न पाये जाने पर अथवा प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी, जिसके जिम्मेदार आप स्वयं होगे।

12-9-25
संयुक्त संचालक
शिक्षा संभाग बिलासपुर
छत्तीसगढ

पृ. कमांक /शिकायत/टी/न.क. 321/2025 11339 बिलासपुर दिनांक 12.09.25

प्रतिलिपि:–

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय,स्कूल शिक्षा विभाग छ.ग. नवा रायपुर अटल नगर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा को सूचनार्थ।
3. विकास खंड शिक्षा अधिकारी पोंड़ी उपरोड़ा जिला कोरबा को सूचनार्थ भेजकर लेख हैं कि संबंधित को पत्र तामिली कराकर पावती इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

12-9-25
संयुक्त संचालक
शिक्षा संभाग बिलासपुर
छत्तीसगढ

CIVIL INDIA EXCLUSIVE
CIVIL INDIA